न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–115/2016 (2016/00216) वाद पत्र

उनवान

1–भंवरलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–बाबुलाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी बोराणा हाल खमोसणी जिला सांभरकाटा (गुजरात)
2–शोभालाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी बोराणा हाल खमोसणी जिला सांभरकाटा (गुजरात)
3–शान्तिलाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल कलाल निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5–लेहरी बेवा सोहनलाल कलाल निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6–शंकरलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–भैरूलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–बंशीलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–नंदलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–युगल पुत्री प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा हाल सेक्टर न. 6 हिरण मंगरी उदयपुर
11–धर्मेश पिता प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा हाल सेक्टर न. 6 हिरण मंगरी उदयपुर
12–उमा पुत्री प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये नाना शंकरलाल टांक निवासी पलाना खुर्द तहसील मावली
13–दीपक पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये नाना शंकरलाल टांक निवासी पलाना खुर्द तहसील मावली
14–मोनु (मोनिका) पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि.जरिये नाना शंकरलाल टांक नि.पलाना खुर्द तहसील मावली
15–बाबुलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
15/1–सुनिल कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर
15/2–राजेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/3–पुष्पादेवी पत्नि बाबु लाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/4–यश पिता गणपतलाल ना.बा.बे.वि. जरिये माता रेखा पत्नि गणपत लाल नि.रायपुर तह. रायपुर
15/5–भाविका पुत्री गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/6–रेखा पत्नि गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–कंचनबाई पत्नि रामचन्द्र टांक निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसंमद
17–शांताबाई पत्नि बालस्वरूप टांक निवासी रायला जिला भीलवाड़ा
18–संतोषदेवी पत्नि अम्बालाल टांक निवासी कलाल वाटिका, राजनगर जिला राजसंमद
19–मुन्नीदेवी पत्नि मांगीलाल टांक निवासी रलवे स्टेशन कांकरोली जिला राजंसमद
20–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरीश टेलर – वादीगण अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन – प्रतिवादीगण अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक–31.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 699 रकबा 3 [illegible] आराजी चाह व साबिक आराजी संख्या 1009 रकबा 2 बिस्वा आराजी चाह कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा भूमि स्थित थी। चम्पालाल आत्मज किशना 1/2 गुलाब, कस्तुर आत्मज दलीचन्द 1/2 हिस्सा से संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2019 से 2021

तक साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित दोनो आराजियात चाह को दिनाक 23–6–1954 को वादी खातेदार गुलाब कस्तुर आत्मज दलीचन्द जी टांक कलाल नि० बोराणा से बिल एवज 95/– रूपये में उनके 1/2 हिस्से को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा इन आराजियात के साथ उनकी खातेदारी की अन्य साबिक आराजियात संख्या–701, 704, 706 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा को भी वादी ने क्रय किया था तथा कब्जा प्राप्त किया था तथा जिसका नामान्तरकरण संख्या 237 मुझ वादी के नाम पर दर्ज होकर फेसल हो गया और भुमियां मुझ वादी के नाम दर्ज हो गई तथा मे वादी इन दोनो आराजी चाह व भुमियों पर काबिज हो गया जो वर्तमान अभी तक काबिज चला आ रहा हूं वादी की खरीद शुदा साबिक आराजियात संख्या 701, 704, 706 तो वादी के नाम पर लगातार दर्ज चली आ रही थी किन्तु वादी द्वारा खरीद खुदा दोनो आराजी चाह संख्या 699 रकबी 3 बिस्वा व साबिक आराजी सं. 1009 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिस्वा भूमि की नवीन आगे की रोटेशन की जमाबंदी संवत 2022 से 2025 कायम की गई उसमे गैर कानुनी तरीके से उक्त भुमियों के विक्रेता का नाम गुलाब, कस्तुर आत्मज दलीचन्द जी कलाल का नाम वादी द्वारा खरीद किये गये 1/2 हिस्से मे भी पुनः अंकित कर दिया जब कि कानुनन और विधिक रूप से चम्पालाल आत्मज किशना 1/2 भंवरलाल आत्मज कस्तुरचन्द 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। और उसी अनुरूप वादी उसके 1/2 हिस्से का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसको वादी पुनः दुरुस्त कराने का अधिकारी है। उक्त दोनों आराजी चाह मे विक्रेता गुलाब कस्तुर आत्मज दलीचन्द का नाम गैर कानुनी रूप से राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दिये जाने से भुमियां लगातार उन्हीं के नाम पर दर्ज चलती आ रही है कि जो गलत है जब कि वादी ही इनके 1/2 हिस्से पर काबिज है तथा खातेदार गुलाब व कस्तुर द्वारा वादी को उनका हिस्सा विकय कर देने के पश्चात उनका आराजियात चाह में कोई हक व अधिकार शेष नही रहा है व उनका भूमि से कोई लेना देना ही रहा है । और इस विकय बाबत विक्रेता खातेदार गुलाब, कस्तुर आत्मज दलीचन्द जी कलाल ने विक्रय की दिनाक 23.6.1954 को तहसील परिसर रायपुर में जाकर तत्समय वांछित स्टाम्प 2/–रूपये पर एक विकाव पत्र दस्तावेज वादी के पक्ष में निष्पादित करवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशानी कर मुझ वादी के सिपुर्द कर दिया तथा बिकावनामा बिल एवज 95/–रूपये की प्रतिफल राशि का होने से उसके पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं रही इसलिए नियमानुसार एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इन आराजियात चाह के साथ अन्य खरीद शुदा आराजियात सहित नामान्तरकरण संख्या 237 वादी के नाम फैसल किया गया किन्तु गैर कानुनी रूप से रोटेशन जमाबंदी में गलत इन्द्राज किया गया है। जिससे वादी आराजी चाह के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने योग्य है। ग्राम बोराणा तहसील रायपुर का नवीन भु प्रबन्ध हुआ, जिसमें उक्त साबिक आराजी चाह [illegible] रकबा 3 बिस्वा के नवीन नम्बर 1907 रकवा 0.03 हेक्टेयर एवं साबिक [illegible] बिस्वा के नवीन नम्बर –2555 रकबा 0.02 हेक्टेयर कायम कि[illegible] प्रमाण में [illegible] की प्रमाणित प्रति एवं छाया प्रति बिकावनामा दस्तावेज एवं [illegible] 2022 से 2025 तक साथ प्रस्तुत की है। राटेशन की जमाबन्दी में विकेता गुलाब कस्तुर आत्मज दलीचन्द कलाल के नाम पुनः वादी के साथ दर्ज हो जाने से उनकी मृत्यु उपरान्त भी उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 19 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज होना चाहिये था, जिससे वादी की नवीन आराजी चाह संख्या 1907, 2555 कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और तदनुसार अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का भी अधिकारी है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी खातेदारी अधिकार एवं इन्द्राज दुरस्ती की वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम बोराणा के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 1907 रकबा 0.03 है0, 2555 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि के 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 19 के बजाय वादी अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादी द्वारा खरीद शुदा भूमि व आराजी चाह से वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 07.12.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 10 से 19 बावजुद सूचना के उपस्थित नही हाने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सख्यां 6 लगायत 9 के अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित जिन्होने प्रकरण में कोई आपत्ति जाहिर नही की एवं प्रतिवादी संख्या 20 फौरमल पक्षकार होकर जवाब की आवश्यकता नही होना पत्रावली पर अकिंत किया गया है।

उक्त पत्रावली काफी समय से विचाराधीन होने से उभयपक्ष अधिवक्ताओ के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित कर निर्णित किया जावे जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता के अनुसार प्रकरण को चिन्हित कर नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है।

नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि राजस्व ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 1909, 1912, 1914 किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि पर मौके पर भंवरलाल, बाबुलाल पिता कस्तुरचन्द काबिज होकर लहसुन आधे भाग में फसल काश्त है। आराजी संख्या 1907 गै.मु. चाह है जो मौके पर बाबुलाल, शोभालाल, सत्यनारायण, प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल 1/2 भाग पर एवं भंवरलाल बाबुलाल पिता कस्तुरचन्द 1/2 द्वारा कुएं में पानी के अभाव होने से उपयोग में नही आ रहा है एवं आराजी संख्या 2555 गै.मु. चाह शंकरलाल, भैरूलाल, बंशीलाल, नन्दलाल [illegible] बचन्द धर्मेश पिता प्यारचन्द 1/4 भवंरलाल, बाबुलाल पिता कस्तुर 1[illegible] नारायण, प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल 1/2 मौके पर इनके द्वा[illegible] है एवं आराजी संख्या 2553, 2554, 2560, 2559, 2561 भं[illegible] कस्तुरचन्द मौके पर काबिज होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण को दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में रखा गया। उभयपक्ष अधिवक्ता एवं पक्षकारान उपस्थित जिनके द्वारा उपस्थित होकर यह निवेदन किया कि हमारे पक्षकारो के मध्य आपसी मनमुटाव होने से राजीनामा नही करते है। प्रकरण में नियमानुसार जो भी न्यायालय उचित समझते हुए निर्णय पारित करे वो हमे स्वीकार है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रकरण में वादवर्णित साबिक आराजी संख्या 699 रकबा 3 बिस्वा व आराजी संख्या 1009 रकबा 2 बिस्वा का 1/2 हिस्सा खातेदार गुलाब कस्तुर पिता दलीचन्द कलाल (टांक) के द्वारा दिनांक 23.06.1954 को अन्य आराजियात के साथ उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा विक्रय किया गया। इसी विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 237 के जरिये राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज हुई किन्तु आगामी रोटेशन में लिपीकिय त्रुटी से पुनः क्रेता के बजाय भूमि विक्रेता के नाम पर ही दर्ज हो गई उनके फोत होने पर उनके विधिक वारीसान के नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी की क्रयशुदा आराजी है। और मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगणो के द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो यह निवेदन किया कि न्यायालय रेकार्ड अनुसार जो भी निर्णय पारित करे वो स्वीकार है। ऐसी स्थिति में रेकार्ड एवं मौके के अनुसार प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा की साबिक आराजी संख्या 699 रकबा 3 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 1907 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आचा, एवं साबिक आराजी संख्या 1009 रकबा 2 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 2555 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा कुल किता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 से 19 के बजाय भंवरलाल, बाबुलाल पिता कस्तुर चन्द 1/2 हिस्सा, शेष 1/2 हिस्सा बाबुलाल, शोभालाल, शान्तिलाल वगैरा बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

31.5.2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–115/2016 (2016/00216) वाद पत्र

उनवान

1–भंवरलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **वादी**

बनाम

1–बाबुलाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी बोराणा हाल खमोसणी जिला सांभरकाटा (गुजरात)
2–शोभालाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी बोराणा हाल खमोसणी जिला सांभरकाटा (गुजरात)
3–शान्तिलाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल कलाल निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5–लेहरी बेवा सोहनलाल कलाल निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6–शंकरलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–भैरूलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–बंशीलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–नंदलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–युगल पुत्री प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा हाल सेक्टर न. 6 हिरण मंगरी उदयपुर
11–धर्मेश पिता प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा हाल सेक्टर न. 6 हिरण मंगरी उदयपुर
12–उमा पुत्री प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये नाना शंकरलाल टांक निवासी पलाना खुर्द तहसील मावली
13–दीपक पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये नाना शंकरलाल टांक निवासी पलाना खुर्द तहसील मावली
14–मोनु (मोनिका) पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि.जरिये नाना शंकरलाल टांक नि.पलाना खुर्द तहसील मावली
15–बाबुलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
15/1–सुनिल कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर
15/2–राजेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/3–पुष्पादेवी पत्नि बाबु लाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/4–यश पिता गणपतलाल ना.बा.बे.वि. जरिये माता रेखा पत्नि गणपत लाल नि.रायपुर तह. रायपुर
15/5–भाविका पुत्री गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15/6–रेखा पत्नि गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–कंचनबाई पत्नि रामचन्द्र टांक निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसंमद
17–शांताबाई पत्नि बालस्वरूप टांक निवासी रायला जिला भीलवाड़ा
18–संतोषदेवी पत्नि अम्बालाल टांक निवासी कलाल वाटिका, राजनगर जिला राजसंमद
19–मुन्नीदेवी पत्नि मांगीलाल टांक निवासी रलवे स्टेशन कांकरोली जिला राजंसमद
20–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा की साबिक आराजी संख्या 699 रकबा 3 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 1907 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आचा, एवं साबिक आराजी संख्या [illegible] बा 2 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 2555 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा कुल किता 2 कुल र[illegible] 0.0[illegible] भूमि प्रतिवादी संख्या 6 से 19 के बजाय भंवरलाल, बाबुलाल पिता कस्तुर चन्द 1/2 हिस्सा [illegible] 1/2 हिस्सा बाबुलाल, शोभालाल, शान्तिलाल वगैरा बदस्तुर जमाबन्दी रख[illegible] जावे।

वाद में डिकी आज दिनांक 31.05.2022 [illegible] जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:06 IST
Reason: SelfAttested

31.5.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा